

मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेसन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :- राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की पन्द्रहवीं बैठक, दिनांक 16.11.2011 का कार्यवाही विवरण।

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 16.11.2011 को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये:-

01. एजेण्डा क्रमांक-1 समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 11.05.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
02. एजेण्डा क्रमांक-2 सदस्य सचिव द्वारा समिति की चौदहवीं बैठक दिनांक 11.05.2011 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति निम्न जानकारी से अवगत हुई-
 - (अ) मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 के अंतर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई के पक्ष में सभी पंजीयन जारी करने की जानकारी दी गई।
 - (ब) बैठक में स्वीकृत क्लेम प्रकरणों में 7 प्रकरणों में राशि वितरण किये जाने की जानकारी दी गई। एक इकाई मेसर्स रूचि स्ट्रिप्स एण्ड एलॉयस लिमिटेड, घाटाबिल्लौद जिला धार के पक्ष में स्वीकृत सहायता राशि रु. 1,27,32,458.00 इकाई से अनुबंध प्राप्त न होने के कारण अभी वितरित की जाना शेष है। इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि यह मेसर्स आर.एस.ए.एल. लिमिटेड को विक्रय की जा चुकी है। वर्तमान में इकाई की पात्रता के संबंध में प्रकरण पृथक एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिस पर निर्णय एजेण्डा अनुक्रमांक 5 पर लिखित है।
 - (स) मेसर्स मैहर सीमेंट मैहर जिला सतना के प्रकरण में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पृथक से कार्यवाही करने की जानकारी दी गई।
03. एजेण्डा क्रमांक-3 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात योजनांतर्गत पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर विलंब को क्षिप्त करने के संबंध में निर्णय एवं इकाईयों के उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनांतर्गत पंजीयन जारी करने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरणवार निर्णय निम्नानुसार लिये गये-
 - (i). मेसर्स फोर्स मोटर लिमिटेड, प्लॉट नं. 3, सेक्टर-1, पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, पो. आ.- पीथमपुर, - इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब

के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 01.09.2008 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 04.07.2007 एवं 30.01.2008 (दो उत्पादों की दिनांक पृथक-पृथक है) से की जाएगी।

मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड, पीथमपुर के द्वारा पैसेन्जर कार श्रेणी के अन्तर्गत स्थापित नवीन क्षमता को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु विस्तार के स्थान पर डायवर्सिफिकेशन मान्य किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत संक्षेपिका पर समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजनान्तर्गत इकाईयों को पंजीयन प्रदान किये जाने के अधिकार प्रबंध संचालक ट्रायफेक को प्रदत्त है। अतः इकाईयों को उनकी पात्रतानुसार पंजीयन प्रदान करने की कार्यवाही प्रबंध संचालक, ट्रायफेक द्वारा की जाये।

- (ii). **मेसर्स माइक्रोप्लेक्स बॉयोटेक एण्ड एग्रोकेम प्रा.लि., 12-सी, एमपी एकेव्हीएन बोरगाँव, तह.-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 20.06.2011 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 10.10.2010 से की जाएगी।
- (iii). **मेसर्स कैलादेवी फूड प्रॉडक्ट्स प्रा.लि., ग्राम छौन्दा, टोलटैक्स बैरियर के पास, ए.बी. रोड, मुरैना (म.प्र.)** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 31.03.2009 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 23.08.2008 से की जाएगी।
- (iv). **मेसर्स सुन्दर ब्रेड इण्डस्ट्रीज, प्लॉट नं. 13-14, एमपीएकेव्हीएन ग्रोथ सेन्टर, बोरगाँव, तहसील –सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 21.04.2011 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 11.10.2010 से की जाएगी।
- (v). **मेसर्स श्रीजी पॉलीमर्स (इण्डिया) प्रा.लि. 15-डी, इण्डस्ट्रीयल एरिया मक्सी रोड, उज्जैन** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि

- इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 18.06.2010 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 30.03.2009 से की जाएगी।
- (vi). **मेसर्स नर्मदा शुगर प्रा.लि., पोंढार, सालीचौका, जिला नरसिंहपुर** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 19.12.2007 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 15.12.2005 से की जाएगी।
- (vii). **मेसर्स हरिओम फ्लोर एंड आईल मिल, एम.एस. रोड, सबलगढ़, जिला मुरैना** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 05.07.2008 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 06.06.2008 से की जाएगी।
- (viii). **मेसर्स रेयान टेक्सटाईल इंडिया प्रा.लि., बरदा रोड, अन्जड़, जिला बड़वानी** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 16.09.2011 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 10.08.2010 से की जाएगी।
- (ix). **मेसर्स एम.पी. एग्रोटॉनिक्स लि., 11-13, सेक्टर-सी, औ. क्षे. मण्डीदीप जिला रायसेन** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 06.08.2011 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 19.05.2010 से की जाएगी।
- (x). **मेसर्स श्रीजी बेवरेजेस फूड प्रा.लि., कलसाड़ाखुर्द, तहसील व जिला धार** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 26.07.2011 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 24.03.2010 से की जाएगी।
- (xi). **मेसर्स किसान मोल्डिंग्स लिमिटेड, प्लॉट नं. 5-ए-5, सेक्टर-2, औद्योगिक क्षेत्र देवास, जिला देवास** – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ-पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा

का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 18.11.2009 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 13.11.2009 से की जाएगी।

04. **एजेण्डा क्रमांक-4 मेसर्स खण्डवा ऑयल यूनिट क्र. 2, ग्राम सिल्टिया पंढाना जिला खण्डवा** – इकाई को ट्रायफेक द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 अन्तर्गत विस्तारित श्रेणी मान्य कर पंजीयन प्रदान किया गया है जिसके विरुद्ध इकाई द्वारा समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर यूनिट क्र. 2 को नवीन इकाई मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इकाई का अभ्यावेदन एवं तत्संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर समिति द्वारा यह पाया गया कि कंपनी की यूनिट क्र. 1 एवं 2 के उत्पाद समान हैं तथा दोनों का कार्यस्थल एक दूसरे के आस पास होने के कारण यूनिट क्र. 2 को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अन्तर्गत विस्तारित श्रेणी मान्य किया जाना उपयुक्त होगा, अतः विचारोपरांत इकाई (यूनिट क्र. 2) के पक्ष में ट्रायफेक द्वारा विस्तारित श्रेणी हेतु जारी पंजीयन प्रमाण पत्र को निरंतर रखते हुए इकाई का अभ्यावेदन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
05. **एजेण्डा क्रमांक-5 मेसर्स रूचि स्ट्रिप्स एण्ड एलॉयस लि. ग्राम-सेजवाया, जिला धार** – इकाई के प्रथम क्लेम प्रकरण (वर्ष 2009-10) में समिति की बैठक दिनांक 11.05.2011 में स्वीकृति उपरांत अनुबंध करने हेतु सूचित किये जाने पर इकाई द्वारा अनुबंध निष्पादित न करते हुए इसे अन्य इकाई को विक्रय करने के संबंध में समिति को अवगत कराया गया। इकाई का विक्रय हो जाने के फलस्वरूप उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि प्राप्त करने हेतु वितरण/अनुबंध की प्रक्रिया जानने के लिये इकाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सुविधा अवधि के दौरान इकाई का विक्रय हो जाने से विक्रित इकाई की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, के संबंध में योजना के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
06. **एजेण्डा क्रमांक-6 मेसर्स आर.एम.सी. रेडीमिक्स (इण्डिया) प्रा.लि., इन्दौर** – इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन प्रदान किया जाये अथवा नहीं, के संबंध में प्रस्तुत संक्षेपिका पर समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि योजनान्तर्गत, औद्योगिक इकाईयों को पंजीयन प्रदान किये जाने के अधिकार प्रबंध संचालक, ट्रायफेक को प्रदत्त हैं, अतः इकाईयों को उनकी पात्रतानुसार पंजीयन प्रदान करने की कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा की जावे।
07. **एजेण्डा क्रमांक-7: मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड एलॉयस प्रा.लि., 808 सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार** – वर्ष 2007-08 के लिए इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के रूप में दिनांक 04.03.2006 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इकाई की मान्य पूंजी विनियोजन रू. 322.00 लाख तथा सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 04.03.2006 से दिनांक 03.03.2011

तक तथा इकाई को सुविधा का वास्तविक लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से अर्थात् 04.11.2006 से 03.03.2011 की अवधि हेतु देय है, जो समिति की बैठक दिनांक 30.03.2010 में स्वीकृत की गई है।

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा द्वितीय क्लेम प्रकरण वर्ष 2007-08 अंतर्गत कच्चेमाल क्रय पर चुकाए गए कर की राशि को छोड़कर कुल कर की राशि रु. 97,23,090.00 का भुगतान इकाई द्वारा किया जाना सत्यापित किया है।

इकाई को वर्ष 2006-07 के लिये उद्योग निवेश संवर्धन सहायता वाणिज्यिक कर विभाग के कर पुष्टि आदेश के आधार पर स्वीकृत एवं वितरित की गई थी। कर निर्धारण आदेश के अनुसार इकाई ने वास्तविक कर रु. 29,648.00 अधिक जमा किया गया था जिसे इकाई को लौटाया गया है। इस अधिक भुगतान किये गये कर पर इकाई को निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त हो चुकी थी अतः महाप्रबंधक द्वारा वर्ष 2007-08 में इकाई द्वारा चुकाए गए कुल कर राशि रु. 97,23,090.00 में से यह राशि कम करते हुए कुल राशि 96,93,442.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् 48,46,721.00 निवेश संवर्धन सहायता मान्य की गई है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.03.2010 में लिये गये निर्णय के अनुसार इकाई की पात्रता अवधि (04.03.2006 से 03.03.2011) के अन्तर्गत वास्तविक लाभ अवधि दिनांक 04.11.2006 से 03.03.2011 निर्धारित की गई है। इस निर्णय के अनुपालन में महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पत्र क्र. 3227 दिनांक 27.07.2011 द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए इकाई के पक्ष में संशोधित लाभ अवधि (04.11.2006 से 31.03.2007) के अनुसार दिनांक 01.04.2006 से 03.11.2006 की अवधि के लिए जमा किये गये कर रु. 37,91,216.00 का 50 प्रतिशत सहायता राशि रु. 18,95,608.00 वितरित की पुष्टि की जाकर उक्त राशि वर्ष 2007-08 की सहायता राशि में से कम करने हेतु अनुशंसा की गई है।

तदनुसार वर्ष 2007-08 हेतु स्वीकृति योग्य सहायता राशि रु. 48,46,721.00 में से वर्ष 2006-07 में अधिक वितरित सहायता राशि रु. 18,95,608.00 कम करने के पश्चात् राशि रु 29,51,113.00 स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, विचारोपरांत इकाई के पक्ष में वर्ष 2007-08 हेतु जमा कर राशि रु. 97,23,090.00 में से वर्ष 2006-07 में अधिक भुगतान किये गये कर रु. 29,648.00 कम करते हुए कुल राशि 96,93,442.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् 48,46,721.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत करते हुए वर्ष 2006-07 के लिए अधिक वितरित सहायता राशि रु. 18,95,608.00 कम करने के पश्चात् वर्ष 2007-08 के लिए शेष सहायता राशि रु. 29,51,113.00 के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

इकाई को वर्ष 2006-07 की क्लेम राशि रु. 36,79,136.00 (3708784-29648) एवं वर्ष 2007-08 की राशि रु. 48,46,721.00 कुल राशि रु. 85,25,857.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् मान्य पूंजी विनियोजन रु. 322.00 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु 2,36,74,143.00 शेष उपलब्ध होगी।

08. एजेण्डा क्रमांक-8 मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड एलॉयस प्रा.लि. 808, सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार – वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए इकाई का तृतीय क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के रूप में इकाई द्वारा दिनांक 04.03.2006 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इकाई का समिति द्वारा मान्य स्थायी पूंजी विनियोजन रू. 322.00 लाख है तथा योजनान्तर्गत सहायता हेतु पात्रता अवधि दिनांक 04.03.2006 से 03.03.2011 तक है। समिति के एक अन्य निर्णय के अनुसार इकाई की वास्तविक पात्रता अवधि दिनांक 04.11.2006 से 03.03.2011 तक है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा द्वितीय क्लेम प्रकरण वर्ष 2008-09 अंतर्गत कच्चेमाल क्रय पर चुकाए गए कर की राशि को छोड़कर कुल कर की राशि रू. 1,11,74,411.00 का भुगतान इकाई द्वारा किया जाना सत्यापित किया है जिसके अनुसार 50 प्रतिषत रू. 55,87,205.00 निवेश संवर्धन सहायता की अनुषंसा की गई है, परन्तु कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2011 के अनुसार इकाई द्वारा कुल कर रू. 1,08,50,400.00 जमा किया गया है जिसके 50 प्रतिषत के आधार पर इकाई को रू. 54,25,200.00 की पात्रता आती है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2008-09 हेतु मान्य उत्पाद पर जमा कर राशि रू. 1,08,50,400.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रू. 54,25,200.00 (रू. चौवन लाख पच्चीस हजार दो सौ मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई के मान्य योग्य स्थायी पूंजी विनियोजन रू. 322.00 लाख में से वर्ष 2006-07 हेतु वितरित राशि रू. 36,79,136.00 तथा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 हेतु अनुशंसित क्लेम राशि रू. 83,76,313.00 इस तरह कुल सहायता राशि रू. 1,20,55,449.00 कम करने पर इकाई के पक्ष में रू. 2,01,44,551.00 सहायता राशि अभी शेष है।

09. एजेण्डा क्रमांक 9 मेसर्स कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., 34-44 इण्डस्ट्रीयल एरिया, रतलाम – वर्ष 2007-08 हेतु इकाई का प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 19.03.2007 को उत्पादन प्रारंभ किया है। रतलाम जिला औद्योगिक दृष्टि से 'अ' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण इकाई को उत्पादन दिनांक 19.03.2007 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.03.2012 तक सहायता की पात्रता है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रतलाम द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में मान्य पूंजी विनियोजन रू. 1768.82 लाख एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में रू. 1800.42 लाख कुल रू. 3569.24 लाख अनुशंसित करते हुए वर्ष 2007-08 के लिए कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर की राशि को छोड़कर जमा की गई कर राशि रू. 1,42,30,910.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रू. 71,15,455.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

महाप्रबंधक द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक से 3) वर्ष विलंब से प्राप्त क्लेम प्रकरण के संबंध में कर निर्धारण प्राधिकारी से योजनान्तर्गत प्रपत्र 4 की जानकारी विलंब से जारी होने के कारण विलंब की उक्त समयावधि को क्षम्य करने की अनुषंसा भी की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के द्वारा वर्ष 2007-08 हेतु विलंब से प्रस्तुत आवेदन को समाधानकारक मान कर इकाई का स्थायी पूंजी विनियोजन रु. 3569.24 लाख मान्य करते हुए, कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई कर राशि रु. 1,42,30,910.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रु. 71,15,455.00 (रूपये इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार चार सौ पचपन मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्रथम क्लेम के रूप में स्वीकृत की गई।

इकाई के मान्य योग्य स्थायी पूंजी विनियोजन रु. 3569.24 लाख में से वर्ष 2007-08 हेतु स्वीकृत राशि रु. 71,15,455.00 कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 34,98,08,545.00 शेष उपलब्ध होगी।

10. **एजेण्डा क्रमांक 10 मेसर्स जे.सी.ओ. गैस पाईप लिमिटेड, बी-2, एकेव्हीएन ग्रोथ सेन्टर, बोरगाँव, तह.-सौंसर जिला छिन्दवाड़ा** – इकाई का वित्तीय वर्ष 2009-10 तक का प्रथम क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 01.04.2009 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छिन्दवाड़ा द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में पूंजी विनियोजन रु. 2664.69 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2009-10 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जिला छिन्दवाड़ा औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 01.04.2009 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 31.03.2019 तक की पात्रता अवधि मान्य की जाकर जमा कर राशि रु. 34,65,422.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 25,99,081.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

इकाई के संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कर पुष्टि आदेश में स्क्रेप्स विक्रय पर चुकाये गये कर रु. 31834.00 को कम करते हुए मान्य योग्य चुकाया गया कर रु. 34,01,773.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 25,51,329.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2009-10 हेतु उत्पादन दिनांक तक महाप्रबंधक द्वारा मान्य पूंजी विनियोजन रु. 2664.69 लाख मान्य किया है परन्तु मध्यप्रदेश ट्रायफेक द्वारा परीक्षण उपरांत 2507.95 लाख मान्य किया गया है। अतः रु. 2507.95 लाख मान्य कर जिला छिन्दवाड़ा औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 01.04.2009 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 31.03.2019 तक निर्धारित करते हुए वर्ष 2009-10 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं स्क्रेप्स विक्र पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 34,01,773.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 25,51,329.00 (रूपये पच्चीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ उन्तीस मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2009-10 की क्लेम राशि रु. 25,51,329.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 2507.95 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 24,82,43,671.00 शेष उपलब्ध होगी।

11. **एजेण्डा क्रमांक 11 मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, 115-118बी, औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर जिला झाबुआ**— इकाई का वित्तीय वर्ष 2006-07 तक का प्रथम क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 19.12.2005 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, झाबुआ द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में पूंजी विनियोजन रु. 682.35 लाख मान्य करते हुए जिला झाबुआ औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 19.12.2005 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.12.2010 तक की पात्रता अवधि निर्धारित कर वर्ष 2006-07 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 51,82,919.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रु. 25,91,460.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2006-07 हेतु उत्पादन दिनांक तक महाप्रबंधक द्वारा मान्य पूंजी विनियोजन रु. 682.35 लाख मान्य किया है परन्तु मध्यप्रदेश ट्रायफेक द्वारा परीक्षण उपरांत 665.83 लाख माना है। अतः रु. 665.83 लाख मान्य कर जिला झाबुआ औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 19.12.2005 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.12.2010 तक निर्धारित करते हुए वर्ष 2006-07 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 51,82,919.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रु. 25,91,460.00 (रूपये पच्चीस लाख इंक्यानवे हजार चार सौ साठ मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2006-07 की क्लेम राशि रु. 25,91,460.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 665.83 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 6,39,91,540.00 शेष उपलब्ध होगी।

12. **एजेण्डा क्रमांक 12 मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, 115-118बी, औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर जिला झाबुआ**— इकाई का वित्तीय वर्ष 2007-08 तक का द्वितीय क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 19.12.2005 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, झाबुआ द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में पूंजी विनियोजन रु. 682.35 लाख मान्य करते हुए जिला झाबुआ औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 19.12.2005 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.12.2010 तक की पात्रता अवधि निर्धारित कर वर्ष 2007-08 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 72,68,614.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रु. 36,34,307.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2006-07 के क्लेम प्रकरण में स्थायी अस्थियों में पूंजी विनियोजन राशि रु. 665.83 एवं पात्रता अवधि दिनांक 19.12.2005 से 18.12.2010 तक मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2007-08 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 72,68,614.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रु.

36,34,307.00 (रूपये छत्तीस लाख चौतीस हजार तीन सौ सात मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2006-07 की क्लेम राशि रू. 25,91,460.00 एवं वर्ष 2007-08 क्लेम राशि रू. 36,34,307.00 इस तरह कुल रू. 62,25,767.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रू. 665.83 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रू. 6,03,57,233.00 शेष उपलब्ध होगी।

13. **एजेण्डा क्रमांक 13 मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, 115-118बी, औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर जिला झाबुआ-** इकाई का वित्तीय वर्ष 2008-09 तक का तृतीय क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 19.12.2005 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, झाबुआ द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्थियों में पूंजी विनियोजन रू. 682.35 लाख मान्य करते हुए जिला झाबुआ औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 19.12.2005 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 18.12.2010 तक की पात्रता अवधि निर्धारित कर वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रू. 1,91,87,189.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रू. 95,93,595.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

इकाई के संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में मान्य योग्य चुकाया गया कर रू. 1,91,85,383.00 मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2006-07 के क्लेम प्रकरण में स्थायी अस्थियों में पूंजी विनियोजन राशि रू. 665.83 एवं पात्रता अवधि दिनांक 19.12.2005 से 18.12.2010 तक मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रू. 1,91,85,383.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रू. 95,92,691.00 (रूपये पंचानवे लाख बानवे हजार छः सौ इंक्यानवे मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2006-07 की क्लेम राशि रू. 25,91,460.00, वर्ष 2007-08 क्लेम राशि रू. 36,34,307.00 एवं वर्ष 2008-09 हेतु क्लेम राशि रू. 95,92,691.00 इस तरह कुल रू. 1,58,18,458.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रू. 665.83 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रू. 5,07,64,542.00 शेष उपलब्ध होगी।

14. **एजेण्डा क्रमांक 14 मेसर्स बैतूल आयल्स एण्ड फ्लोर्स लि., ग्रा. - कैमा, पो.- राइडिंग, जिला सतना -** इकाई का वित्तीय वर्ष 2009-10 तक का प्रथम क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 28.03.2010 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्थियों में पूंजी विनियोजन रू. 2576.59 लाख मान्य करते हुए जिला सतना

औद्योगिक दृष्टि से 'अ' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 28.03.2010 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 27.03.2015 तक की पात्रता अवधि निर्धारित कर वर्ष 2009-10 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 3,79,090.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 2,84,317.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2009-10 हेतु उत्पादन दिनांक तक महाप्रबंधक एवं ट्रायफेक द्वारा पूंजी विनियोजन रु. 2576.59 लाख मान्य किया है। अतः रु. 2576.59 लाख मान्य कर जिला सतना औद्योगिक दृष्टि से 'अ' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 28.03.2010 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 27.03.2015 तक निर्धारित करते हुए वर्ष 2009-10 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 3,79,090.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 2,84,317.00 (रूपये दो लाख चौरासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2009-10 की क्लेम राशि रु. 2,84,317.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 2576.59 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 25,73,74,683.00 शेष उपलब्ध होगी।

15. एजेण्डा क्रमांक 15 मेसर्स सुन्दरम पैकेजिंग इण्डिया प्रा.लि., प्लॉट क्र. 111 से 128, सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर – इकाई का वित्तीय वर्ष 2009-10 तक का द्वितीय क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 29.12.2008 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में पूंजी विनियोजन रु. 1832.95 लाख मान्य करते हुए जिला पीथमपुर औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 29.12.2008 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 28.12.2018 तक की पात्रता अवधि निर्धारित कर वर्ष 2009-10 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 1,06,69,051.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 80,01,788.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति के समक्ष इकाई के संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिकर कर द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण के संबंध में इकाई को पात्र वस्तुओं की बिक्री पर जमा कर राशि रु. 1,04,10,636.00 की 75 प्रतिषत राशि रु. 78,07,977.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता आती है।

इकाई द्वारा पूर्व वर्ष 2008-09 में भी उद्योग निवेश संवर्धन सहायता हेतु पात्र वस्तुओं के अतिरिक्त अपात्र वस्तुओं प्लास्टिक स्क्रैप, खाली बारदाने आदि रु. 12,21,767.00 का विक्रय कर रु. 51,776.00 का कर जमा किया गया था, जिसकी 75 प्रतिषत राशि रु. 38,832.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता अधिक प्रदान कर दी गई थी। अतः इस राशि को चालू वर्ष 2009-10 में प्रदाय की जाने योग्य राशि रु. 78,07,977.00 में से कम कर शेष रु. 77,69,145.00 की उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि की पात्रता रहती है।

समिति द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर के उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी के अनुसार विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई के वर्ष 2008-09 के वितरित क्लेम राशि रु. 3,65,769.00 में रु. 38,832.00 कम करते हुए रु. 3,26,937.00 मान्य किया जाकर उक्त अधिक राशि वर्ष 2009-10 के क्लेम की राशि से कम करने का निर्णय लिया गया।

इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम प्रकरण में आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा इकाई के पात्र वस्तुओं की बिक्री पर जमा कर राशि रु. 1,04,10,636.00 होना बताया है अतः समिति द्वारा विचारोपरांत उक्त राशि की 75 प्रतिशत राशि अर्थात् रु. 78,07,977.00 (रूपये अठहत्तर लाख सात हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई के वर्ष 2008-09 के क्लेम में अधिक राशि रु. 38,832.00 का समायोजन वर्ष 2009-10 के लिये उपरोक्तानुसार स्वीकृत राशि रु. 78,07,977.00 में से कम कर शेष राशि रु. 77,69,145.00 के भुगतान की पात्रता होगी।

इकाई को वर्ष 2008-09 की क्लेम राशि रु. 3,26,937.00 जिसका वितरण किया जा चुका है, एवं वर्ष 2009-10 क्लेम राशि रु. 78,07,977.00 इस तरह कुल रु. 81,34,914.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 1832.95 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 17,51,60,086.00 शेष उपलब्ध होगी।

16. एजेण्डा क्रमांक 16 मेसर्स नर्मदा एक्स्ट्रूजन लिमिटेड, 71, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-1, पीथमपुर — इकाई का वित्तीय वर्ष 2008-09 तक का तृतीय क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा विस्तारान्तर्गत दिनांक 30.09.2006 को उत्पादन प्रारंभ किया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा इकाई के विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में वर्ष 2006-07 के प्रथम क्लेम प्रकरण में समिति द्वारा मान्य पूंजी विनियोजन रु. 597.50 लाख, जिला धार औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 30.09.2006 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 29.09.2011 तक की पात्रता अवधि एवं इकाई के उत्पाद की मूल वार्षिक क्षमता/विगत तीन वर्ष का औसत उत्पादन (जो भी अधिक हो) 7077 मी.टन से अधिक विस्तार अन्तर्गत उत्पादन पर वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 53,82,486.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 26,91,243.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2006-07 के प्रथम क्लेम प्रकरण में स्थायी अस्थियों में पूंजी विनियोजन राशि रु. 597.50 एवं पात्रता अवधि दिनांक 30.09.2006 से 29.09.2011 तक मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 53,82,486.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 26,91,243.00 (रूपये छब्बीस लाख इंक्यानवे हजार दो सौ त्रितालीस मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 की वितरित क्लेम राशि रू. 86,83,399.00 तथा वर्ष 2008-09 हेतु क्लेम राशि रू. 26,91,243.00 इस तरह कुल रू. 1,13,74,642.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रू. 597.50 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रू. 4,83,75,358.00 शेष उपलब्ध होगी।

17. **एजेण्डा क्रमांक 17 मेसर्स निभी इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, 12-12ए, एकेव्हीएन औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, जिला झाबुआ** – इकाई का वित्तीय वर्ष 2010-11 तक का प्रथम क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 15.07.2010 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, झाबुआ द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में पूंजी विनियोजन रू. 2554.85 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2010-11 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जिला झाबुआ औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 15.07.2010 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 14.07.2020 तक की पात्रता अवधि मान्य की जाकर जमा कर राशि रू. 55,40,658.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 41,55,493.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2010-11 हेतु उत्पादन दिनांक तक महाप्रबंधक द्वारा मान्य पूंजी विनियोजन रू. 2554.85 लाख मान्य किया है परन्तु मध्यप्रदेश ट्रायफेक द्वारा परीक्षण उपरांत रू. 2474.61 लाख मान्य किया है। अतः रू. 2474.61 लाख मान्य कर जिला झाबुआ औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 15.07.2010 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 14.07.2020 तक निर्धारित करते हुए वर्ष 2010-11 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रू. 55,40,658.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 41,55,493.00 (रूपये इक्तालीस लाख पचपन हजार चार सौ तिरानवे मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2010-11 की क्लेम राशि रू. 41,55,493.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रू. 2474.61 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रू. 24,33,05,507.00 शेष उपलब्ध होगी।

18. **एजेण्डा क्रमांक 18 मेसर्स कमल कॉटस्पिन प्रा.लि., 65, रिषीपुरा, खण्डवा रोड, बुरहानपुर, तहसील-बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर** – उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत इकाई के वर्ष 2009-10 के क्लेम पर विचार हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर विचार के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विचाराधीन अवधि के लिये, इकाई के पक्ष में टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की कार्यवाही की जांच अभी शेष है अतः प्रकरण स्थगित रखना उपयुक्त होगा।

अतः समिति द्वारा विचारोपरांत प्रकरण आगामी बैठक तक विलंबित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

19. एजेण्डा क्रमांक 19 मेसर्स सतरंग स्टील एण्ड एलॉयज प्रा.लि., प्लॉट नं. 7, न्यू औद्योगिक क्षेत्र-2, मण्डीदीप, जिला रायसेन – इकाई का वित्तीय वर्ष 2009-10 तक का तृतीय क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा षवलीकृत उत्पाद का (डायवर्सिफाइड प्रॉडक्ट) दिनांक 01.02.2008 को उत्पादन प्रारंभ किया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा इकाई के षवलीकृत उत्पाद अन्तर्गत उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में वर्ष 2007-08 के प्रथम क्लेम प्रकरण में समिति द्वारा पूंजी विनियोजन रु. 5,02,20,160.00 एवं जिला रायसेन औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 01.02.2008 से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 31.01.2013 तक की पात्रता अवधि मान्य किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2009-10 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 1,12,17,374.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रु. 56,08,687.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2007-08 के प्रथम क्लेम प्रकरण में स्थायी अस्थियों में पूंजी विनियोजन राशि रु. 5,02,20,160.00 एवं पात्रता अवधि दिनांक 01.02.2008 से 31.01.2013 तक मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2009-10 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 1,12,17,374.00 का 50 प्रतिषत अर्थात् रु. 56,08,687.00 (रूपये छप्पन लाख आठ हजार छः सौ सत्यासी मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2007-08 की वितरित क्लेम राशि रु. 7,50,922.00, 2008-09 की वितरित क्लेम राशि रु. 48,23,018.00 एवं वर्ष 2009-10 हेतु क्लेम राशि रु. 56,08,687.00 इस तरह कुल रु. 1,11,82,627.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 5,02,20,160.00 में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 3,90,37,533.00 शेष उपलब्ध होगी।

20. एजेण्डा क्रमांक 20 मेसर्स नाहर पॉली फिल्मस लि., ग्राम सेवकिया, मण्डीदीप, जिला रायसेन – इकाई का वित्तीय वर्ष 2010-11 तक का प्रथम क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 20.05.2010 को उत्पादन प्रारंभ किया है। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में पूंजी विनियोजन रु. 1,56,07,32,226.00 मान्य करते हुए जिला रायसेन औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 20.05.2010 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 19.05.2020 तक की पात्रता अवधि के अनुसार वर्ष 2010-11 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 2,12,81,616.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 1,59,61,212.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2010-11 हेतु उत्पादन दिनांक तक महाप्रबंधक एवं ट्रायफेक द्वारा पूंजी विनियोजन रु. 1,56,07,32,226.00 मान्य किया है। अतः रु. 1,56,07,32,226.00 मान्य कर जिला रायसेन औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 20.05.2010 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 19.05.2020 तक निर्धारित करते हुए वर्ष 2010-11 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 2,12,81,616.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,59,61,212.00 (रूपये एक करोड़ उन्सठ लाख इक्सठ हजार दो सौ बारह मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2010-11 की क्लेम राशि रु. 1,59,61,212.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 1,56,07,32,226.00 में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 1,54,47,71,014.00 शेष उपलब्ध होगी।

21. एजेण्डा क्रमांक 21 मेसर्स त्रिमुला इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम पोस्ट गोदावली, तहसील-देवसर, जिला सिंगरौली – उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 के लिये इकाई का द्वितीय क्लेम समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर विचार के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह तथ्य समिति के समक्ष लाया गया कि वर्तमान में इकाई दिनांक 27.10.2011 से बंद है अतः इकाई की सुविधा स्थगित रखी जाये।

समिति द्वारा विचारोपरांत, प्रकरण की वस्तुस्थिति महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीधी/सिंगरौली से प्राप्त कर तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

22. एजेण्डा क्रमांक 22 मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो लिमिटेड, यूनिट नं. 2, ग्राम सेजवाया तहसील घाटा बिल्लौद, जिला-धार – इकाई का वित्तीय वर्ष 2008-09 तक का पांचवाँ क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा विस्तारान्तर्गत एवं डायवर्सिफिकेशन के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2004 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा इकाई के विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत उत्पादन दिनांक 04.11.2004 तक स्थिर अस्तियों में वर्ष 2004-05 के प्रथम क्लेम प्रकरण में समिति द्वारा मान्य पूंजी विनियोजन रु. 9897.19 लाख, जिला धार औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 04.11.2004 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 03.11.2014 तक की पात्रता अवधि एवं इकाई के सी.आर. क्वार्टल की मूल वार्षिक क्षमता/विगत तीन वर्ष का औसत उत्पादन (जो भी अधिक हो) 175000 मी.टन एवं कोटेड स्टील क्वार्टल/शीट की मूल वार्षिक क्षमता/विगत तीन वर्ष का औसत उत्पादन (जो भी अधिक हो) 76792 मी.टन से अधिक विस्तारित क्षमता तथा डायवर्सिफाइड प्रॉडक्ट के अन्तर्गत कलर कोटेड शीट/क्वार्टल की वार्षिक उत्पादन क्षमता 100000 मी.टन. के उत्पादन पर वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को

छोड़कर जमा कर राशि रु. 5,74,94,427.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 4,31,20,820.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2004-05 के प्रथम क्लेम प्रकरण में स्थायी अस्थियों में पूंजी विनियोजन राशि रु. 9897.19 लाख एवं पात्रता अवधि दिनांक 04.11.2004 से 03.11.2014 तक मान्य की गई है। इकाई के वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 5,74,94,427.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 4,31,20,820.00 (रूपये चार करोड़ इकत्तीस लाख बीस हजार आठ सौ बीस मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2004-05 से 2007-08 की वितरित क्लेम राशि रु. 10,06,34,379.00 तथा वर्ष 2008-09 हेतु क्लेम राशि रु. 4,31,20,820.00 इस तरह कुल रु. 14,37,55,199.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 9897.19 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 84,59,63,801.00 शेष उपलब्ध होगी।

23. एजेण्डा क्रमांक 23 मेसर्स सोनिक बायोकेम लिमिटेड, ग्राम मंढेरी मण्डीदीप, जिला रायसेन

इकाई का वित्तीय वर्ष 2010-11 तक का प्रथम क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 25.06.2010 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा इकाई के उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्थियों में मान्य पूंजी विनियोजन रु. 2920.73 मान्य करते हुए जिला रायसेन औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 25.06.2010 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 24.06.2020 तक की पात्रता अवधि के अनुसार वर्ष 2010-11 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 1,33,11,315.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 99,83,486.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2010-11 हेतु उत्पादन दिनांक तक महाप्रबंधक एवं ट्रायफेक द्वारा मान्य पूंजी विनियोजन रु. 2920.73 लाख मान्य किया गया है। अतः रु. 2920.73 लाख मान्य कर जिला रायसेन औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 25.06.2010 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 24.06.2020 तक निर्धारित करते हुए वर्ष 2010-11 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 1,33,11,315.00 का 75 प्रतिषत अर्थात् रु. 99,83,486.00 (रूपये निम्नानवे लाख तिरासी हजार चार सौ छियासी मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2010-11 की क्लेम राशि रु. 99,83,486.00 की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् उत्पादन दिनांक तक मान्य पूंजी विनियोजन रु. 2920.73 लाख में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रु. 28,20,89,514.00 शेष उपलब्ध होगी।

24. एजेण्डा क्रमांक 24 मेसर्स व्ही.आर.एस. फूड्स लिमिटेड, ए.बी.सी.-2, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरौंगी), जिला भिण्ड – इकाई का वित्तीय वर्ष 2008-09 तक का पांचवाँ क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा नवीन इकाई के अंतर्गत दिनांक 01.03.2005 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर द्वारा इकाई के प्रथम क्लेम अन्तर्गत समिति द्वारा उत्पादन दिनांक तक स्थिर अस्तियों में पूंजी विनियोजन रु. 1227.91 लाख एवं उत्पादन दिनांक के पश्चात् तीन वर्ष के दौरान स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेश रु. 214.60 कुल 1442.52 लाख मान्य किये जाने के फलस्वरूप जिला भिण्ड औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उत्पादन दिनांक 01.03.2005 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 28.02.2015 तक की पात्रता अवधि के अनुसार वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा कर राशि रु. 2,15,31,156.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,61,48,367.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुषंसा की गई है।

इकाई ने मूल इकाई के अतिरिक्त दो विस्तार किये गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई की मूल क्षमता एवं दोनो विस्तार हेतु एक ही कर निर्धारण आदेश जारी किया गया है तथापि तीनों परियोजनाओं हेतु कर पुष्टि आदेश पृथक्-पृथक् जारी किये गये हैं। कर निर्धारण आदेश के अनुसार इकाई द्वारा वैट के रूप में रु. 1,26,41,091.00, सीएसटी रु. 1,42,20,325.00 जमा किया गया है तथा इकाई के पक्ष में रु. 4,65,497.00 का आईटीआर मान्य किया गया है। यह क्लेम मूल इकाई से संबंधित है जिसके कर पुष्टि आदेश के अनुसार वैट के रूप में रु. 1,10,67,659.00 तथा सीएसटी के रूप में 1,04,63,497.00 इस तरह कुल रु. 2,15,31,156.00 कुल कर जमा किया गया है। चूँकि आईटीआर हेतु कर पुष्टि आदेश एवं कर निर्धारण आदेश में तीनों के लिए पृथक्-पृथक् जानकारी नहीं दी गई है। ट्रायफेक द्वारा उक्त समस्त आईटीआर (रु. 4,65,497.00) मूल इकाई की कर राशि (रु. 2,15,31,156.00) में से कम किया है। आईटीआर कम करने के पश्चात् इकाई द्वारा देय कर राशि रु. 2,10,65,659.00 राशि रहती है जिसकी 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,57,99,244.00 सहायता राशि की इकाई को पात्रता होगी।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के वर्ष 2008-09 हेतु उत्पादन दिनांक तक महाप्रबंधक एवं ट्रायफेक द्वारा मान्य पूंजी विनियोजन रु. 1442.52 लाख मान्य किया गया है। अतः रु. 1442.52 लाख मान्य कर जिला भिण्ड औद्योगिक दृष्टि से 'स' श्रेणी के अन्तर्गत होने के कारण उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता अवधि दिनांक 01.03.2005 से 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 28.02.2015 तक निर्धारित करते हुए वर्ष 2008-09 में कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर जमा की गई राशि रु. 2,10,65,659.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रु. 1,57,99,244.00 (रुपये एक करोड़ सन्तावन लाख निन्यानवे हजार दो सौ चौवालीस मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई है।

इकाई को वर्ष 2004-05 से 2007-08 की वितरित क्लेम राशि रु. 6,35,71,164.00 तथा वर्ष 2008-09 हेतु क्लेम राशि रु. 1,57,99,244.00 इस तरह कुल रु. 7,93,70,408.00

की सहायता प्राप्त होने के पश्चात् पूंजी विनियोजन रू. 1442.52 लाख (उत्पादन दिनांक तक मान्य) में से कम करने पर योजनांतर्गत इकाई के लिये राशि रू. 6,48,81,592.00 शेष उपलब्ध होगी।

सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(पी.के. दास)

प्रबंध संचालक

म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फ़ैसिलिटेसन
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी एवं
सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश
संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दास)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं
अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन
सहायता समिति

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की पंद्रहवीं बैठक
दिनांक 16.11.2011 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1.	श्री विनोद सेमवाल	उद्योग आयुक्त, म.प्र.
2.	श्री पी.के.दास	प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्रायफेक एवं एमपीएसआईडीसी
3.	श्री शैलेन्द्र सिंह	आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र.
4	श्री सत्यानंद	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के प्रतिनिधि अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
अन्य उपस्थित अधिकारी		
1	श्री राघवेन्द्र दुबे	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर
2	श्री सी.एस.धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी.ट्रायफेक